

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए निवेशों के वर्गीकरण और मूल्यन के लिए दिशानिर्देश

1. वर्गीकरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एसएलआर प्रतिभूतियों और गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों से बने समग्र निवेश संविभाग को तीन श्रेणियों अर्थात् "परिपक्वता तक धारित", "बिक्री के लिए उपलब्ध" और "ट्रेडिंग के लिए धारित" के अंतर्गत वर्गीकृत किया जायेगा। तथापि, तुलन-पत्र में निवेशों का प्रकटन वर्तमान के पांच वर्गीकरणों अर्थात् i) सरकारी प्रतिभूतियां ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां iii) शेयर iv) डिबेंचर और बांड v) म्युच्युअल फंड यूनिट जैसे अन्य, आदि में करना जारी बना रहेगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को चाहिए कि निवेश की श्रेणी का निर्णय उसके अभिग्रहण के समय ही लिया जाए और निवेश प्रस्तावों पर उक्त निर्णय दर्ज किया जाना चाहिए।

1.1 परिभाषाएं

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा परिपक्वता तक धारण करने के इरादे से अभिग्रहित प्रतिभूतियों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जायेगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अल्पावधिक मूल्य / ब्याज दर में घट-बढ़ का लाभ उठाते हुए ट्रेडिंग के इरादे से अभिग्रहित प्रतिभूतियों को ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जायेगा। उपर्युक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत न आने वाली प्रतिभूतियों को बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जायेगा।

1.2 परिपक्वता तक धारित

i. परिपक्वता तक धारित के अंतर्गत समाविष्ट निवेश बैंक के कुल निवेशों के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। तथापि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत अपने कुल निवेशों के 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक निवेश की अनुमति है बशर्ते :

- क) अतिरिक्त अंश केवल एसएलआर प्रतिभूतियों का हो, और
- ख) एचटीएम श्रेणी में धारित कुल एसएलआर प्रतिभूतियां दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को उनकी मांग और मीयादी देयताओं (डीटीएल) के 24.5 प्रतिशत से अधिक न हो।

ii. इस श्रेणी में निवेशों की बिक्री से होने वाले लाभ को प्रथमतः लाभ-हानि लेखें में लिया जायेगा और उसके बाद उसका विनियोजन "आरक्षित पूंजी खाता" में किया जायेगा। बिक्री से होने वाली हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जायेगा।

iii. गैर एसएलआर प्रतिभूतियों को एचटीएम में समाविष्ट करने की अनुमति नहीं है।

1.3 बिक्री के लिए उपलब्ध तथा ट्रेडिंग के लिए धारित

i. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बिक्री के लिए उपलब्ध तथा ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणियों के अंतर्गत धारिताओं की सीमा के बारे में निर्णय करने की स्वतंत्रता होगी। उनके द्वारा इसका निर्णय इरादे का आधार, व्यापारिक कार्य-नीतियों, जोखिम प्रबंधन क्षमताओं, कर

आयोजना, श्रम-दक्षता, पूंजी की स्थिति जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लिया जायेगा।

- ii. ट्रेडिंग के लिए धारित श्रेणी के अंतर्गत उन निवेशों को रखा जायेगा, जिनसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को ब्याज दरों / बाजार दरों में घट-बढ़ द्वारा लाभ होने की उम्मीद है। इन प्रतिभूतियों को 90 दिनों के भीतर बेचा जाना है।
- iii. एचएफटी और एएफएस श्रेणियों में निवेशों की बिक्री से होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में लिया जायेगा।

2. श्रेणियों के बीच अंतरण

- i. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एचटीएम श्रेणी में / से निवेशों को निदेशक मंडल के अनुमोदन से वर्ष में एक बार अंतरित कर सकते हैं। आम तौर पर ऐसे अंतरण की लेखा-वर्ष के प्रारंभ में अनुमति दी जायेगी। उस लेखा-वर्ष के शेष भाग में इस श्रेणी में / से आगे और अंतरण की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- ii. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने निदेशक मंडल / आस्ति-देयता प्रबंध समिति / निवेश समिति के अनुमोदन से एएफएस से एचएफटी श्रेणी में निवेश अंतरित कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर बैंक के अध्यक्ष के अनुमोदन से इस प्रकार का अंतरण किया जा सकता है, परन्तु इसकी अभिपुष्टि निदेशक मंडल / आस्ति-देयता प्रबंध समिति द्वारा की जानी चाहिए।
- iii. एचएफटी से एएफएस श्रेणी में निवेशों के अंतरण की अनुमति आम तौर पर नहीं दी जाती है। तथापि, चलनिधि की तंगी की स्थिति या अत्यधिक अस्थिरता या बाजार के एक दिशा में न होने के कारण 90 दिनों के भीतर प्रतिभूति की बिक्री करने में असमर्थ होने जैसी केवल अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के अंतर्गत इसकी अनुमति निदेशक मंडल/ आस्ति-देयता प्रबंध समिति/ निवेश समिति के अनुमोदन से दी जायेगी।
- iv. सभी परिस्थितियों में एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्क्रिपों का अंतरण अभिग्रहण लागत/ बही मूल्य/ बाजार मूल्य, जो भी सबसे कम हो, पर अंतरण की तारीख को किया जाना चाहिए तथा ऐसे अंतरण पर मूल्यहास, यदि कोई हो, के लिए पूरा प्रावधान किया जाना चाहिए।
- v. एएफएस / एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिपों का अंतरण न्यूनतर बही मूल्य या बाजार मूल्य पर किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में अंतरण के समय बाजार मूल्य बही मूल्य से अधिक होने की स्थिति में मूल्य वृद्धि को नजरअंदाज किया जाना चाहिए और बही मूल्य पर प्रतिभूति अंतरित की जानी चाहिए। बाजार मूल्य बही मूल्य से कम होने की स्थिति में, ऐसी प्रतिभूति पर धारित मूल्यहास के लिए प्रावधान (अतिरिक्त प्रावधान, यदि कोई हो, अंतरण की तारीख पर किये गये मूल्यन पर आधारित आवश्यक प्रावधान सहित) को बही मूल्य को घटा कर बाजार मूल्य पर लाने के लिए समायोजित किया जाना चाहिए और प्रतिभूति बाजार मूल्य पर अंतरित की जानी चाहिए।
- vi. एचटीएम से एएफएस / एचएफटी श्रेणी में प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले में :

- (क) यदि प्रतिभूति मूल रूप से एचटीएम श्रेणी में बट्टे पर रखी गयी हो तो एएफएस/ एचएफटी श्रेणी में अभिग्रहण कीमत / बही मूल्य पर अंतरित की जायेगी। (यह नोट किया जाए कि वर्तमान अनुदेशों के अनुसार बैंकों को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित प्रतिभूतियों पर बट्टा अर्जित करने की अनुमति नहीं है और इसलिये ऐसी प्रतिभूतियां परिपक्वता तक अभिग्रहण लागत पर धारित करना जारी रहेगा)। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तत्काल पुनर्मूल्यन किया जाना चाहिए और परिणामस्वरूप मूल्यहास, यदि कोई हो, के लिये प्रावधान किया जाए।
- (ख) यदि प्रतिभूति मूल रूप से एचटीएम श्रेणी में प्रीमियम पर रखी गयी हो तो एएफएस/ एचएफटी श्रेणी में परिशोधित लागत पर अंतरित की जायेगी। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तत्काल पुनर्मूल्यन किया जाना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप यदि कोई मूल्यहास होता हो तो उसके लिये प्रावधान किया जाए।
- vii. एएफएस से एचएफटी श्रेणी या इसके विपरीत में प्रतिभूतियों के अंतरण के मामले में अंतरण की तारीख को प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यन करना आवश्यक नहीं है और संचयित मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधान, यदि कोई हो, एचएफटी प्रतिभूतियों पर और इसके विपरीत क्रम में (वाईस वर्सा) मूल्यहास के प्रावधान अंतरित किए जाएं।

3. निवेशों का मूल्यन

3.1 मूल्यन के मानक

- परिपक्वता तक धारित** श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को बाजार भाव पर दर्शाने की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें अब तक अभिग्रहण लागत पर दर्शाया जाएगा जब तक कि वह अंकित मूल्य से अधिक न हो। इसके अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में, प्रीमियम की राशि परिपक्वता तक की शेष अवधि में परिशोधित की जानी चाहिए। बैंकों को चाहिए कि वे परिशोधित राशि को 'अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज : मद II - निवेशों पर आय' में कटौती के रूप में दर्शाएं। तथापि, कटौती को अलग से दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिभूति का बही मूल्य संबंधित लेखाकरण अवधि में परिशोधित राशि की सीमा तक घटाना जारी रखा जाना चाहिए।
- बिक्री के लिए उपलब्ध** श्रेणी की अलग-अलग स्क्रिपों को तिमाही या उससे कम अवधि के अंतराल पर बाजार भाव के अनुसार दर्शाया जायेगा। अलग-अलग प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यन किये जाने पर उनके बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- ट्रेडिंग के लिये धारित** श्रेणी में अलग-अलग स्क्रिपों को मासिक या उससे कम अवधि के अंतरालों पर बाजार मूल्य के अनुसार दर्शाया जायेगा। इस श्रेणी में बाजार मूल्य पर मूल्य दर्शाने के बाद अलग-अलग के बही मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

टिप्पणी : एएफएस और एचएफटी के अंतर्गत प्रतिभूतियों का अलग से स्क्रिप-वार मूल्यन किया जाएगा और उपर्युक्त पैरा 1 में संदर्भित हर तुलन-पत्र के वर्गीकरण के लिए मूल्यहास / मूल्यवृद्धि को एकत्रित किया जाएगा। किसी विशिष्ट वर्गीकरण में उस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों के निवल मूल्यहास / मूल्यवृद्धि की गणना करने के प्रयोजन के लिए निवेश का एकत्रीकरण किया जाए। निवल मूल्यहास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया जाए। निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई

हो, को नजर-अंदाज किया जाना चाहिए। किसी एक वर्गीकरण में निवल मूल्यहास हेतु अपेक्षित प्रावधान को किसी दूसरे वर्गीकरण में होनेवाली निवल मूल्यवृद्धि के कारण घटाया नहीं जाना चाहिए।

एएफएस और एचएफटी में किसी वर्ष में होनेवाले मूल्यहास के लिए अपेक्षित प्रावधान को लाभ-हानि खाते में नामे डाला जाना चाहिए तथा समकक्ष राशि (कर लाभ, यदि कोई हो, को घटाकर और सांविधिक रिज़र्व के प्रति अंतरण में इसके परिणामस्वरूप होनेवाली कटौती को घटाकर) अथवा "निवेश घट-बढ़ रिज़र्व" (आइएफआर) खाते में उपलब्ध शेष राशि, इनमें से जो भी कम हो, आइएफआर खाते से लाभ-हानि खाते में अंतरित की जाए। एएफएस और एचएफटी संवर्ग में मूल्यहास के कारण निर्मित प्रावधान किसी वर्ष में अपेक्षित राशि से अधिक पाये जाते हैं तो ऐसी अतिरिक्त राशि लाभ-हानि खाते में जमा की जानी चाहिए और समकक्ष राशि (निवल कर, यदि कोई हो, और ऐसे अतिरिक्त प्रावधान पर लागू सांविधिक रिज़र्व में निवल अंतरण) आइएफआर खाते में विनियोजित की जानी चाहिए जिसे इस श्रेणी के निवेशों के लिए भावी मूल्यहास के लिए प्रयुक्त किया जाना है। प्रावधान हेतु लाभ-हानि खाते में नाम डाली गई राशियां और अतिरिक्त प्रावधान के विपर्यय के लिए लाभ-हानि खाते में जमा की गई राशि को 'व्यय – प्रावधान और आकस्मिक व्यय' शीर्ष के अंतर्गत क्रमशः नामे और जमा किया जाना चाहिए। वर्ष का लाभ निर्धारण कर लेने के बाद लाभ-हानि खाते से विनियोजित राशियों और आइएफआर खाते से लाभ-हानि खाते में अंतरित राशि को 'बिलो द लाइन (लाभ निकालने के बाद प्रावधान)' मद के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए। आइएफआर खाते को अनुसूची 2 में 'राजस्व और अन्य रिज़र्व' के अंतर्गत 'रिज़र्व और अधिशेष' में अलग मद के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

3.2 बाजार मूल्य

(अ) बोली लगाई गई (कोटेड) प्रतिभूतियां

'बिक्री के लिए उपलब्ध' और 'ट्रेडिंग के लिए धारित' श्रेणियों में शामिल निवेशों के आवधिक मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए 'बाजार मूल्य' उस स्क्रिप का शेयर बाजारों में हुए ट्रेड/ कोट, एसजीएल खाते के लेनदेनों, भारतीय रिज़र्व बैंक की मूल्य सूची, भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ द्वारा समय-समय पर फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआइएमएमडीए) के साथ संयुक्त रूप से घोषित उपलब्ध बाजार भाव होगा।

(आ) बोली न लगाई गयी (अनकोटेड) सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियां

कोट न की गयी प्रतिभूतियों के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे वार प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए।

(क) केंद्र सरकार प्रतिभूतियां :

- i. बैंकों को कोट न की गयी केंद्र सरकार प्रतिभूतियों का मूल्यांकन पीडीएआइ / एफआइएमएमडीए द्वारा आवधिक अंतरालों पर दिये जानेवाले भावों/ परिपक्वता पर प्रतिलाभ (वायटीएम) संबंधी दरों के आधार पर करना चाहिए।

- ii. 6.00 प्रतिशत पूंजी इंडेक्स बांडों का मूल्यन लागत के आधार पर किया जाए जैसाकि 22 जनवरी 1998 के परिपत्र बैंपवि.सं.बीसी.8/12.02.001/97-98 और 16 अगस्त 2000 के परिपत्र बीसी.18/12.02.001/2000-01 में परिभाषित है।
- iii. खजाना बिलों का मूल्यन कारोबारी लागत पर किया जाना चाहिए।

(ख) राज्य सरकार प्रतिभूतियां :

- i. राज्य सरकार प्रतिभूतियों का मूल्यन पीडीएआइ / एफआइएमएमडीए द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत समान परिपक्वता अवधिवाली केंद्र सरकार प्रतिभूतियों के प्रतिलाभों से ऊपर 25 आधार अंकों पर उन्हें मार्क करते हुए वाईटीएम पद्धति लागू करके किया जायेगा।

(ग) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां :

- i. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्यन पीडीएआइ / एफआइएमएमडीए द्वारा आवधिक रूप से प्रस्तुत की जानेवाली समान परिपक्वता वाली केंद्र सरकार प्रतिभूतियों के प्रतिलाभों से ऊपर 25 आधार अंक पर मार्किंग करके परिपक्वता की तुलना में प्रतिलाभ (वाईटीएम) पद्धति लागू करके किया जायेगा।

(इ) बोली न लगाई गई गैर एसएलआर प्रतिभूतियां

क) डिबेंचर / बांड

सभी डिबेंचर/ बांडों का मूल्यन परिपक्वता पर प्रतिलाभ की दर पर किया जायेगा। इस प्रकार के डिबेंचर/ बांड विभिन्न कंपनियों के और भिन्न-भिन्न दरों वाले हो सकते हैं। इनका मूल्यन पीडीएआइ/ एफआइएमएमडीए द्वारा आवधिक रूप से प्रस्तुत की जानेवाली केंद्र सरकार प्रतिभूतियों के लिए परिपक्वता पर प्रतिलाभ के लिए प्रयुक्त दरों के ऊपर उचित रूप से मार्कअप करके किया जायेगा। यह मार्कअप श्रेणी-निर्धारक (रेटिंग) एजेन्सियों द्वारा डिबेंचरों/बांडों को दी गई श्रेणी के अनुसार श्रेणीबद्ध (ग्रेड) किया जाएगा जो निम्नलिखित बातों के अधीन है :

- i) श्रेणी निर्धारित डिबेंचरों / बांडों के लिए परिपक्वता पर प्रतिलाभ के लिए प्रयुक्त दर समान परिपक्वता अवधिवाले भारत सरकार ऋण पर लागू दर से कम से कम 50 आधार अंक अधिक होनी चाहिए।
- ii) जहां डिबेंचर / बांडों की बोली लगाई गई हो और मूल्यन की तारीख से पूर्व के 15 दिनों के भीतर इनमें लेनदेन किए गए हों वहां अपनाया गया मूल्य शेयर बाजार में लेनदेन जिस दर पर दर्ज हो उससे उच्चतर स्तर का नहीं होना चाहिए।

ख) विशेष प्रतिभूतियां :

भारत सरकार द्वारा लाभार्थी संस्थाओं को सीधे जारी की गई प्रतिभूतियों जो एसएलआर दर्जे की न हो, का मूल्यन भारत सरकार प्रतिभूतियों पर विद्यमान तदनुसूची आय (यील्ड) के ऊपर 25 आधार अंक के स्प्रेड पर किया जा सकता है। वर्तमान में, इन विशेष प्रतिभूतियों में शामिल हैं- तेल बांड, उर्वरक बांड, भारतीय स्टेट बैंक (हाल के अधिकार निर्गम के दौरान) भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लि.,

अर्थात् तत्कालीन भारतीय आद्योगिक विकास बैंक और तत्कालीन जहाजरानी विकास वित्त निगम को जारी बांड।

ग) अधिमान शेयर :

अधिमान शेयरों का मूल्यन परिपक्वता पर प्रतिलाभ की दर के आधार पर होना चाहिए। कंपनियों द्वारा भिन्न-भिन्न दरों पर अधिमान शेयर जारी किये जायेंगे। इनका मूल्य पीडीएआइ / एफआइएमएमडीए द्वारा आवधिक रूप से प्रस्तुत की जानेवाली समान अवधिवाली केंद्र सरकार प्रतिभूतियों के लिए वाइटीएम दरों के ऊपर उचित रूप से किया जायेगा। यह मार्कअप श्रेणी-निर्धारक (रेटिंग) एजेन्सियों द्वारा डिबेंचरों / बांडों को दी गयी श्रेणी के अनुसार ग्रेड रूप में दिया जाता है, जो निम्नलिखित बातों के अधीन है :

- i. परिपक्वता पर प्रतिलाभ की दर समान अवधिवाले भारत सरकार ऋण की कूपन दर / परिपक्वता की तुलना में प्रतिलाभ से कम नहीं होनी चाहिए।
- ii. जहां अधिमान लाभांश बकाया हो वहां प्रोद्भूत लाभांश को हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए और यदि बकाया एक वर्ष का हो तो परिपक्वता पर प्रतिलाभ के आधार पर निर्धारित मूल्य को कम से कम 15 प्रतिशत की दर पर बट्टा दिया जाना चाहिए और यदि बकाया एक वर्ष से अधिक समय से हो तो इससे अधिक बट्टा दिया जाना चाहिए। जहां लाभांश बकाया है, वहां अनर्जक शेयरों के संबंध में उपर्युक्त ढंग से निकाले गये मूल्यहास/प्रावधान की अपेक्षा को आय देनेवाले अन्य अधिमान शेयरों पर मूल्यवृद्धि में से समंजित (सेट ऑफ) करने की अनुमति नहीं होगी।
- iii. अधिमान शेयर का मूल्यन उसके मोचन मूल्य से अधिक की दर पर नहीं किया जाना चाहिए।
- iv. जब किसी अधिमान शेयर का क्रय-विक्रय मूल्यन की तारीख से 15 दिन पहले की अवधि में शेयर बाजार में किया गया हो, तो उसका मूल्य उस मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए, जिस मूल्य पर उसका क्रय-विक्रय किया गया हो।

घ) ईक्विटी शेयर :

बैंक के निवेश संविभाग वाले ईक्विटी शेयरों का मूल्यन बाजार दर पर अधिमानतः दैनिक आधार पर तथा कम-से-कम साप्ताहिक आधार पर किया जाना चाहिए। जिन इक्विटी शेयरों के लिए चालू बोलियां उपलब्ध नहीं हैं अथवा शेयर बाजारों में जिनकी बोली नहीं लगाई जाती है उनका मूल्यन ब्रेक-अप मूल्य पर किया जाना चाहिए (पुनर्मूल्यन 'प्रारक्षित निधि' यदि कोई हो, पर विचार किए बिना), जिसका निर्धारण कंपनी के अद्यतन तुलनपत्र से किया जाना चाहिए (जो कि मूल्यन की तारीख से एक वर्ष पहले से अधिक का न हो)। यदि अद्यतन तुलनपत्र उपलब्ध न हो तो शेयरों का मूल्यन एक रूपया प्रति कंपनी की दर पर किया जाना चाहिए।

ङ) म्युच्युअल फंड यूनिट :

बोली लगाए गए किए गए म्युच्युअल फंड यूनिटों के निवेशों का मूल्यन शेयर बाजार की दरों के अनुसार किया जाना चाहिए। बोली न लगाए गए म्युच्युअल फंड यूनिटों में निवेश का मूल्यन प्रत्येक विशिष्ट योजना के संबंध में म्युच्युअल फंड द्वारा घोषित अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य पर

किया जाना चाहिए। यदि निधियों के लिए रुद्धता (लॉक-इन) अवधि हो तो उस मामले में पुनर्खरीद मूल्य / बाजार दर उपलब्ध न होने पर यूनिटों का मूल्यन निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाना चाहिए। यदि निवल आस्ति मूल्य उपलब्ध न हो तो इनका मूल्यन लागत पर अब तक किया जाना चाहिए तब तक कि रुद्धता अवधि समाप्त न हो जाए। जहां पुनर्खरीद मूल्य उपलब्ध न हो वहां यूनिटों का मूल्यन संबंधित योजना के निवल आस्ति मूल्य पर किया जा सकता है।

3.3 अनर्जक निवेश (एनपीआई)

3.3.1 उक्त तीन श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में शामिल प्रतिभूतियों के संबंध में जहां ब्याज /मूलधन बकाया है, बैंकों को प्रतिभूतियों पर आय का संगणन नहीं करना चाहिए और निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास हेतु उचित प्रावधान भी करना चाहिए। बैंकों को चाहिए कि वे इन अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यह्रास की अपेक्षाओं का समंजन अन्य अर्जक प्रतिभूतियों की मूल्यवृद्धि के साथ न करें।

- 3.3.2 ऐसा एक अनर्जक निवेश (एनपीआई) एक अनर्जक अग्रिम (एनपीए) के समान है, जहां :
- ब्याज / किस्त (परिपक्वता आगम को मिलाकर) देय है और 90 दिन से अधिक अवधि तक वह बिना अदायगी के रह गई हो।
 - उपर्युक्त अपेक्षा आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे अधिमान शेयरों पर लागू होगी, जहां नियत लाभांश अदा नहीं किया गया है। यदि किसी वर्ष में अधिमान शेयरों पर लाभांश (संचयी अथवा गैर संचयी) घोषित न किया गया हो तो उसे 'बकाया' में देय/अदत्त के रूप में माना जाएगा और उस वर्ष विशेष के लिए जारीकर्ता के तुलन-पत्र की तारीख की गणना आस्ति वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए देय तारीख के रूप में की जाएगी।
 - ईक्विटी शेयरों के मामले में अद्यतन तुलनपत्र उपलब्ध न होने के कारण किसी भी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्यन 1 रुपया प्रति कंपनी किए जाने की स्थिति में, उन ईक्विटी शेयरों की भी गणना अनर्जक निवेश के रूप में की जाएगी।
 - यदि जारीकर्ता द्वारा उपयोग की गयी कोई ऋण सुविधा बैंक की बहियों में अनर्जक आस्ति है तो जारीकर्ता द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति जिसमें उसी जारीकर्ता द्वारा जारी अधिमान शेयरों का भी समावेश है, में किए निवेश को अनर्जक निवेश के रूप में अथवा विपरीत क्रम से वर्गीकृत किया जाएगा। तथापि, यदि अधिमान शेयरों को ही एनपीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो उसी जारीकर्ता द्वारा जारी अन्य अर्जक प्रतिभूतियों में किए गए निवेश को अनर्जक निवेश के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा तथा उस उधारकर्ता को मंजूर किसी अर्जक ऋण सुविधा को एनपीआई न माना जाए।

4. सामान्य

4.1 आय-निर्धारण

- बैंक कंपनी निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिभूतियों के संबंध में आय को जहां केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार ने ब्याज के भुगतान तथा मूलधन की वापसी की

गारंटी दी हो वहां उपचय आधार पर दर्ज कर सकते हैं बशर्ते ब्याज नियमित रूप से दिया जाता हो और इस प्रकार कुछ बकाया न रहा हो।

- ii. बैंक उपचय आधार पर कार्पोरेट निकायों के शेयरों पर मिलने वाले लाभांश से प्राप्त आय दर्ज कर सकते हैं बशर्ते कार्पोरेट निकाय ने अपनी वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरों पर लाभांश की घोषणा की हो तथा शेयरों के स्वामी का भुगतान प्राप्त करने पर अधिकार स्थापित किया गया हो।
- iii. जहां इन लिखतों पर ब्याज दर पूर्व निर्धारित है तथा इस शर्त पर कि ब्याज की नियमित चुकौती की जा रही है और कुछ बकाया न रहा हो, वहां बैंक ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों तथा कार्पोरेट निकायों के बांडों तथा डिबेंचरों से प्राप्त आय को उपचित आधार पर दर्ज कर सकते हैं।
- iv. बैंकों को चाहिए कि वे म्युचुअल फंडों की इकाइयों से प्राप्त आय को नकद आधार पर दर्ज करें।

4.2 खंडित अवधि ब्याज

सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में बैंकों को विक्रेता को भुगतान किए गए खंडित अवधि ब्याज का लागत के एक हिस्से के रूप में पूंजीकरण नहीं करना चाहिए, किंतु उसे लाभ-हानि खाते के अंतर्गत व्यय की मद के रूप में समझा जाना चाहिए। यह नोट किया जाए कि उपर्युक्त लेखा पद्धति में कर से संबंधित प्रभावों को ध्यान में नहीं लिया जाता है तथा इस कारण बैंकों को आयकर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार उनकी अपेक्षाओं का अनुपालन करना चाहिए।

4.3 अमूर्त (डिमटेरियलाइज्ड) धारिताएं

बैंकों को चाहिए कि वे भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अधिसूचित प्रकार से प्रतिभूतियों में किए जानेवाले लेनदेनों का निपटान केवल डिपॉजिटरीज के माध्यम से करें। डिमैट फॉर्म में अनिवार्य खरीद-बिक्री प्रक्रिया लागू कर दिये जाने के बाद बैंक सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर, यदि मूर्त रूप में (फिजिकल फार्म) में धारित हो तो, बेच नहीं सकेंगे। बांड, डिबेंचर और ईक्विटी जैसे अन्य लिखतों की धारिता को अमूर्त (डिमटेरियलाइज्ड) रूप प्रदान करने की दृष्टि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे नए निवेश करें तथा बांड और डिबेंचर केवल अमूर्त रूप में ही धारित करें। स्क्रिप रूप में विद्यमान बकाया निवेश को भी अमूर्त रूप में परिवर्तित किया जाना आवश्यक है।